# राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय
## कार्यालय उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेड़ी बेरसिया रोड, भोपाल

मो नं. 8878600042, 9303315367, 9617253054

दिनांक : 01/09/2021

क्रमांक फ.अ.के. / 2021–22 / 160

## पुनः निविदा सूचना

सभी इच्छुक खरीददारों को सूचित किया जाता है कि फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेड़ी, बैरसिया रोड भोपाल में **पुनः** अमरूद पाहरूआ फसल वर्ष 2021–22 के विक्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक खरीददार अपने–अपने भाव पत्र बन्द लिफाफे में उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेड़ी में नीलामी तिथि में समय पर उपस्थित रहकर, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय सीहोर द्वारा गठित समिति के समक्ष अमरूद, को नीलामी द्वारा विक्रय किया जावेगा। अपने–अपने भावपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपराहंत 2.00 बजे तक जमा करें। इसके बाद प्राप्त टेण्डरों पर विचार नहीं किया जावेगा। टेण्डर दिनांक 07.09,2021 को 3.00 बजे के बाद अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय द्वारा गठित नीलामी समिति के सामने खोले जावेगे। जिसकी शर्ते निम्न होगीः–

1, प्रत्येक टेण्डर प्रेषक को पाहरूआ अमरूद बगिचे के लिये 25000/– की राशि जमानत राशि के रूप में नगद जमा करना होगा। यह राशि टेण्डर के बाद पावती रसीद जमा करने से बाद वापस भुगतान कर दी जावेगी एवं जिस भी ठेकेदार की नीलामी के लिए सर्वाधिक राशि होगी उसकी अमानत राशि फसल अवधि समाप्त होने तक कार्यालय में जमा रहेगी एवं अवधि पूर्ण होने पर वापस की जायेगी। फसल अवधि के दौरान कार्यालय या प्रक्षेत्र की संपत्ति को ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति पहुचाने पर जमानत राशि से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2, स्वीकृत टेण्डर की पूरी रकम ठेकेदार को 24 घण्टे में जमा करनी होगी अथवा इस बीच कोई अवकाश आता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में जमा होगी। ऐसा न करने पर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेण्डर की राशि (प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर) पर क्रय करने का अवसर होगा।

3,फसल तोड़ने की अंतिम तिथि अमरूद 31.03.2022 तक ही रहेगी।

4, किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

5, पाहरूआ अमरूद फसल बगीचे का अवलोकन खरीददार स्वयं आकर कर सकते है।

6, फसल की चौकीदारी, रखरखाव एवं किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

7, अमरूद फसल तुड़ाई के समय श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

8, अमरूद फसल की अवधि के दौरान प्रत्येक जाति के 50–50 फल प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय को निःशुल्क उपलब्ध कराने होगें।

9, उचित कीमत न आने पर टेण्डर/नीलामी निरस्त की जा सकती है।

10, अमरूद फसल की गूटी काटने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

11, सिंचाई पानी उपलब्ध रहने पर ही दिया जा सकेगा। अधिकतम 3 पानी 31 जनवरी 2022 तक ही दिया जावेगा।

12, कीटनाशक दवा एवं फफूंद नाशक दवा ठेकेदार को प्रदाय की जावेगी तथा छिड़काव की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

13, नीलामी के पश्चात फल वृक्षों में हवा, आंधी, तूफान रोग एवं कीट व्याधि से हुए नुकसान की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। टेण्डर खुलने के पश्चात् अंकन 1000/– एक हजार रूपये इकरारनामा का खर्च ठेकेदार द्वारा किया जावेगा ! अन्तवर्तीय फसलों की खेती की जावेगी इस सम्बंध में ठेकेदार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

14, ठेकेदार को अपने निवास का पूर्ण पता राशन कार्ड/फोटो परिचय पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके।

15 ठेकेदार को अलग से अस्थाई विघुत कनेकशन बिजली जलाने के लिये लेना होगा।

16, अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को होगा। साथ ही अधिकतम बोली हेतु निगोशएशन (बातचीत) सभी पार्टियों से एक साथ या अलग–अलग की जा सकेगी।

17, टेण्डर की अधिकतम राशि समय पर जमा ना होने पर निविदाकर्त्ता की जमानत राशि वापिस नहीं की जावेगी।

18.नगद पैसा/चेक या डी. डी. बैंक के नियमानुसार जमा होगा !

19, निविदाकर्ता द्वारा कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की जानकारी एवं उनका आधारकार्ड/परिचय पत्र/लिखित में प्रभारी को सूचित करेंगे।

नोट :– विशेष जानकारी हेतु प्रभारी फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी से सम्पर्क करें।

प्रक्षेत्र प्रभारी
फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी

प्रक्षेत्र प्रभारी
फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी
भोपाल (म.प्र.)